>

Title: Regarding adulteration of food items in the country.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि आज रासायनिक कीटनाशकों की मिलावट के कारण खाद्यान्न तथा सब्ज़ियाँ मनुष्य एवं पशु-पक्षियों के जीवन के लिए खतरनाक बन गई हैं। कीटनाशकों का प्रयोग तथा कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने की प्रक्रिया खाद्यान्न एवं फलों को प्रदूषित कर देती है जो कि मनुष्य या किसी भी जीव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह एक दुखद विडंबना है कि अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिन फलों एवं सब्ज़ियों को ऊँचे दामों पर हम सभी खरीदते हैं, वे सभी विभिन्न बीमारियों का कारण बनती हैं।

महोदय, हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत ने दूध में वाशिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, यूरिया और अन्य खतरनाक पदार्थों की मिलावट पर गहरी चिन्ता जताते हुए मिलावट करने वालों को उम्र कैद की सज़ा देने का प्रावधान करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा है कि जीवन की खुशहाली और इसके लिए उपार्जन में जीने के अधिकार के साथ ही कीटनाशक रहित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता तय की जानी चाहिए।

महोदय, आज देश में अधिकांश महानगरों से लेकर कस्बों तक बिकने वाले फल जैसे आम व केला पैस्टिसाइड का प्रयोग कर पकाए जा रहे हैं। इस तरह के फल खाने से व्यक्ति सीधे तौर पर कैंसर का शिकार हो जाता है। गर्मी के दिनों में बाज़ार में बिकने वाले आम में 90 प्रतिशत से ज्यादा हानिकारक कैमिकल हैं। यही नहीं, आम को लुभावना बनाने के लिए इंजैक्शन के ज़रिये हानिकारक रंग भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

महोदय, अब खाने को केवल सुरक्षित बनाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उससे पर्याप्त पोषण भी हासिल होना चाहिए। अब समय आ गया है और सरकार से मेरी मांग है कि निश्चित तौर पर यह पोषण, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के सामाजिक लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए तथा इसके बाद ही मुनाफे का नंबर आना चाहिए।